न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/387

मोती लाल आत्मज स्वर्गीय गोकुल जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. जिला वन अधिकारी महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
3. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसे वादी के अभिभाषक ने दिनांक 22.11.2012 को नॉट प्रेस कर खारिज करवा लिया ।

3. प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सीपीसी वास्ते पुनः पत्रावली को नम्बर पर लेने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद साक्ष्य हेतु नियत था जिसे वादी के अभिभाषक ने नॉट प्रेस करवा लिया जिसके बाद उक्त पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई । वादी के वाल्व खराब होने से गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की वजह से अपने अभिभाषक महोदय से सम्पर्क नहीं कर सका था । वादी के अभिभाषक ने उक्त वाद को खारिज करवा लिया था । वादी ने उक्त वाद की जानकारी हेतु अपने पुत्र को तारीख लेने भेजा तो

उनके अभिभाषक ने बताया कि तुम्हारे नहीं आने से उक्त वाद को खारिज कर दिया है । वादी एक वृद्ध और गंभीर हार्ट की बीमारी से पीडित व्यक्ति है जिसे उक्त वाद को खारिज करने की जानकारी दिनांक 28.03.2013 को हुई जिस पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे ।

4. वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सीपीसी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट कई वर्षो से ह्रदय रोग से गंभीर रूप से पीडित है उसके दिल का वाल्व भी खराब हो चुका है । अपीलान्ट गंभीर बीमारी के कारण अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर कसा था । अपीलान्ट ने वकील साहब को दावा नॉट प्रेस करने के लिए अधिकृत नहीं किया था । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट का वाद शहादत वादी में विचाराधीन था । उक्त वाद प्रतिवादीगण की तलबी में नहीं चल रहा था । जवाबदावा प्रस्तुत होकर तनकीयात कायम हो चुकी थीं । वादी अपीलान्ट को शहादत प्रस्तुत करनी थी । वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 व्यवहार प्रकिया संहिता की परिधि में आता है टाईपिंग त्रुटि के कारण सहवन से आदेश 09 नियम 04 व्यवहार प्रकिया संहिता अंकित हो गया था । वास्तव में उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया गया था । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज है अपीलान्ट वाद को चलाना चाहता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को रेस्टोर किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट गत कई वर्षो से ह्रदय रोग से पीडित है । इस कारण अपने वकील से सम्पर्क नहीं कर पाये । वादी अपीलान्ट ने वकील साहब को दावा नॉट प्रेस कराने के लिए अधिकृत नहीं किया था और न ही इस बाबत् उन्हें कोई निर्देश दिये थे । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के वकील साहब ने नो इंस्ट्रक्शन के स्थान पर सहवन से नॉट प्रेस कर दिया जो निरस्तनीय है । दावा शहादत वादी में विचाराधीन था, प्रतिवादी को इत्तला हो चुकी थी उनकी ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था । जवाबदावा प्रस्तुत

ाकर तनकीयात कायम हो चुकी थीं । प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी की परिधि में आता है । टाईपिंग त्रुटि के कारण सहवन से प्रार्थना पत्र में आदेश 09 नियम 04 सीपीसी अंकित हो गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज हैं उक्त भूमि उनके खाते एवं कब्जे की भूमि है । अपीलान्ट दावे को चलाना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । यदि प्रार्थना पत्र में धारा गलत अंकित की गई है तो चाही गई रिलीफ के अनुसार उसको सही धारा में पढा जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरएलडब्ल्यू 2005 (4) पेज 2734, आरबीजे 1997 पेज 08 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपने बहस में कथन किया कि लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट के अभिभाषक ने उन्हें कई बार सूचित किया था परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए उसके उपरान्त उक्त वाद नॉट प्रेस करवाया था । वादग्रस्त आराजी वन भूमि है जिसका उपयोग सिर्फ वन कार्य हेतु किया जा सकता है । इस भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2013 को अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सीपीसी का पेश किया था और यह कथन किया कि उनके दावे की पत्रावली दिनांक 22.11.2012 को साक्ष्य हेतु नियत थी और उनके अभिभाषक ने उसी दिन नॉट प्रेस से दावा खारिज करवा लिया । अपीलान्ट गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की वजह से अपने अभिभाषक महोदय से सम्पर्क नहीं कर पाया था और उनके अभिभाषक ने उनको कोई सूचना नहीं दी । इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए खारिज किया है । अपीलान्ट का यह कथन है कि इस प्रार्थना पत्र को आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का माना जावे । त्रुटिपूर्ण रूप से शीर्षक में आदेश 09 नियम 04 सीपीसी अंकित हो गया है और प्रार्थना पत्र में जो तय अंकित हैं उसके अनुसार उसे आदेश 09 नियम 09 माना जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (4) पेज 2734 उद्धरत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि आवेदन में शीर्षक गलत है तो प्रार्थना पत्र को सही धारा में माना जा सकता है और तद्नुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

11. अपीलान्ट का यह कथन है कि वह गंभीर बीमारी के कारण अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर पाया था और उनके अभिभाषक ने उनहें कोई जानकारी नहीं दी थी और दावे को नो – इन्स्ट्रक्शन के स्थान पर नॉट प्रेस कर दिया । उनके अभिभाषक की यह जिम्मेदारी थी कि दावे को खारिज करने के पूर्व अपीलान्ट को सूचित करते परन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । न्यायालय के द्वारा भी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 1997 (4) पेज 08 भी उद्धरत की ।

2. अपीलान्ट द्वारा अवगत करवाये गये उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में हम अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं क्योंकि उसका यह कथन है कि उनके अभिभाषक ने नॉट प्रेस करने से पूर्व उन्हें सूचित नहीं किया और नो–इन्स्ट्रक्शन की जगह गलती से नॉट प्रेस किया है । न्यायालय के द्वारा भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई । अतः हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा